संख्या– 2742/29–6–2016–128सा/15

प्रेषक,

शशि भूषण लाल सुशील,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2016

विषयः–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2364/29–6–2014–104सा/09टीसी0–10, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के शासनादेश संख्या– 2338/60–2–15–2,दिनांक 19 अगस्त, 2015 के कम में विशेष अभियान चलाकर वजन दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में 0–5 वर्ष तक के 13 लाख से अधिक अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। अति कुपोषित बच्चे चूँकि निर्धन परिवारों से ही होते हैं, अतः सम्यक विचारोपरान्त अति कुपोषित बच्चों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–10 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिन्हांकित अति कुपोषित बच्चों के उन परिवारों को भी पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत इनक्लूजन काइटेरिया में शामिल किया जायेगा, जो कि खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–3121/29–6–2014–104सा/09टीसी–10, दिनांक 29–12–2014 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एक्सक्लूजन काइटेरिया में न आते हों।

भवदीय,

8.1.16

(शशि भूषण लाल सुशील)
विशेष सचिव।

खाद्य तथा रसद विभाग
... लखनऊ

GO-2 Saxena

संख्या–[illegible] (1)/29–6–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पंचायती राज/ग्राम्य विकास/नगर विकास/राजस्व विभाग/बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार।

2– महानिदेशक,राज्य पोषण मिशन,उ0प्र0लखनऊ।

3– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0लखनऊ।

4– अपर आयुक्त,खाद्य एवं रसद को इस आशय से कि इस शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।

6– समस्त उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त (खाद्य) उ0प्र0।

7– समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव ।

GO-2 Saxena